हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

समता ज्योति

वर्ष : 12 अंक : 4 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अप्रेल, 2021

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

प्रोन्नति में आरक्षण मामले में केन्द्र को शीर्ष कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। प्रोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। सामान्य वर्ग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके केन्द्र सरकार पर मामले में यथास्थिति कायम रखने के शीर्ष कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव और विनीत सरन की पीठ ने अवमानना याचिका पर वकील परिमल कुमार की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किए। बहस के दौरान पीठ ने परिमल से कहा कि सरकार सिर्फ एडहाक प्रोन्नति ही तो दे रही है, इसमें क्या है। इस पर परिमल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल, 2019 को मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। इसके बाद केन्द्र सरकार के कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने 11 जून, 2020 को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके बड़े पैमाने पर पदों के रिक्त होने का हवाला देते हुए मामले में अंतिम फैसला आने तक एडहाक प्रोन्नति करने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई, 2020 को केन्द्र की अर्जी पर सुनवाई की, लेकिन एडहाक प्रोन्नति की इजाजत नहीं दी। सिर्फ मुख्य मामले की अंतिम सुनवाई के समय विचार करने की बात कही थी। परिमल ने कहा कि कोर्ट से इजाजत नहीं मिलने के बावजूद कार्मिक विभाग ने एडहाक आधार पर प्रोन्नति दे दी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस जारी किया। याचिका में कार्मिक विभाग व यूपीएससी को पक्षकार बनाया गया है।

अवमानना याचिका में कहा गया है कि 11 दिसंबर, 2020 को केन्द्र सरकार ने एडहाक आधार पर 149 डिप्टी सेक्रेट्री स्तर के अधिकारियों को डायरेक्टर ग्रेड पर प्रोन्नत किया है। कार्मिक विभाग ने आठ जनवरी, 2021 को दोबारा एडहाक प्रोन्नतियां कीं।

आर्थिक पिछड़ों को आयु सीमा में छूट

जयपुर. राज्य की सरकारी नौकरियों में अन्य आरक्षित वर्गों के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को भी अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी देने के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

मंत्रिमंडल के निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।

इससे ईडब्ल्यूएस वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनको भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की तरह बढ़ी आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बजट 2021-22 में घोषणा की थी।

एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के लिए अभ्यावेदन की छूट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण का वर्गीकरण कर इसमें से 25 फीसदी आरक्षण भील जाति को देने के लिए दायर याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया । इसके आधार पर न्यायाधीश गोर्वधन बाहृदार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश कर सकता है। कालू लाल भील व अन्य ने याचिक दायर कर बताया कि एसटी आरक्षण का लाभ जनजाति विशेष ही ले रही है। ऐसे में अधिक लाभ लेने वाली जनजाति को क्रीमीलेयर में शामिल किया जाए।

याचिका में बताया कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में पंजाब सरकार बनाम देवेन्द्र सिंह के मामले में तय कर चुका है कि राज्य सरकार पिछड़ी जाति के आरक्षण में विभाजन कर सकती है।

ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज में सीटें बढ़ाई

जयपुर । उदयपुर स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों को आरक्षण दिए जाने के लिए प्रवेश सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नियमित प्रवेश क्षमता 60 और 40 है। अब इसे बढ़ाकर 75 और 50 किया गया है। सीटें बढ़ने में राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 72.79 लाख रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

पदोन्नति में आरक्षण : एम. नागराज के निर्णय की पालना पर सुप्रीम कोर्ट गम्भीर

प्रमोशन में आरक्षण के विरूद्ध इंदिरा साहनी का पहला और एम नागराज का दूसरा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये ऐसे निर्णय हैं जिसने पूरे देश की नौकरशाही को प्रभावित किया है। विशेषकर एम नागराज का निर्णय अधिक चर्चित और सम्मानित भी हो गया है। इसी निर्णय के अधीन हाल ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने भारत के अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकारों और अन्य लोगों के जो लगभग पांच दर्जन याचिकाऐं एम नागराज संविधान पीठ (पांच जज) के निर्णय के सम्बंध में दायर की है। उन सबसे अलग-2 शपथ पत्र लेकर उनका वर्गीकरण करके प्रस्तुत किया जाये ताकि एक साथ सब पर की गई प्रार्थनाओं के अनुसार सुनवाई की जा सके।

ग्यातव्य है कि यह केस मुख्यत: केन्द्र सरकार की उस याचिका पर आधारित है जिसमें उसने एम नागराज के निर्णय को समीक्षा के लिये सात जजों की बेंच को भेजे जाने की प्रार्थना की है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा 2018 में जरनैल सिंह बनाम भारत सरकार केस में दिये गये निर्णय के विरोध में दायर की गई है। इसका कारण ये है कि पांच जजों की संविधान पीठ ने केन्द्र सरकार की इस दलील को मानने से मना कर दिया था कि एम. नागराज केस में एससी/एसटी की क्रीमी लेयर अवधारणा को सही ढंग से नहीं लिया गया है। इस केस में जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन, ने 2006 के एम नागराज के निर्णय को आंशिक रूप से तो बदल दिया था लेकिन उसे सात जजों की बैंच को भेजने से मना कर दिया था।

इन हालातों के कारण पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक उहापोह की स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के यथा स्थिति आदेश के बावजूद कहीं प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है और कहीं रूका हुआ। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया के लिये छ: सप्ताह का समय दिया है।

अध्यक्ष की कलम से

फेसबुक की दादागिरी

साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि "If you consume free service or product of a company, you yourself become a product of that company" ठीक यही कहावत फेस बुक के मामले में हम पर चरितार्थ हो रही है, हम अनजाने में ही फेसबुक के उत्पाद बन गये हैं और जगह-जगह बेचे जा रहे हैं।

अभी पिछले दिनों समता आन्दोलन द्वारा "भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वाह:आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये" शीर्षक से एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड की गयी थी। इस वीडियों में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जो कोविड-19 से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए जिन आयुर्वेदिक औषधियों और योग-प्राणायाम के उपयोग का प्रोटोकॉल जारी किया गया था उसका सारांश समझाया गया था। यह सारांश समता आन्दोलन समिति द्वारा एक पृष्ठ के पैम्फलेट के रूप में जारी किया गया है। इस महत्वपूर्ण पैम्फलेट का विमोचन हाईकोर्ट जस्टिस, आयुर्वेद कुलपति, राष्ट्रीय संस्थान निदेशक से करवाकर राज्यपाल के जरिये करोड़ों नागरिकों को लोकार्पण किया गया। दुर्भाग्य से फेसबुक ने दादागिरी करते हुये इन सभी लब्धप्रतिष्ठ संवैधानिक पदों की गरिमा को नजर अंदाज करते हुये हमारी वीडियो को डिलीट कर दिया। सभी जानते हैं कि एलोपैथी की मल्टीनेशनल कम्पनियों की लॉबी किसी भी कीमत पर आयुर्वेद को प्रचारित व प्रतिष्ठित नहीं होने देना चाहती हैं। इसी दबाव में फेसबुक द्वारा यह अविधिक एवं अपमानजनक करतूत की गयी है। समता आन्दोलन अपने विद्वान वकीलों से सलाह करके फेसबुक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विचार कर रहा है। सादर।

सम्पादकीय

''दो कारण दो बातें''

दो ही बातें हैं। पहली-जाति आधारित आरक्षण समाप्त हो चुका है। और दूसरी या फि यह लाईलाज बीमारी बनकर खून के साथ देश की नस-नस् में समा चुका है। इनमें दूसरी पर विश्वास करना अधिक आसान है। इसके दो कारण है। पहला- देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि ''मेरे रहते आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। और दूसरा स्वयम प्रधान मंत्री ने अपने कथन को प्रमाणित करते हुए ''आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देकर सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत आरक्षण की सीलिंग को तोड़कर एक तरह से संकेत दे दिया है कि देश के प्रशासन को अब योग्य और प्रतिबद्ध अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है?

आगे फिर दो बातें आती हैं। पहली देश संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहिये अथवा दूसरी कथित राजनैतिक जिद और जड़ता को देश पर थोपा जाना उचित है? इनमें से पहली बात तो अब समाप्त प्राय:ही मानी जायेगी। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब ''ला ऑफलैंड'' की पवित्र सीमाओं से बाहर हो चुका है। स्वयम् सुप्रीम कोर्ट यदि जाति आरक्षण मामले में अब तक दिये गये अपने निर्णयों (न्याय नहीं) को लेकर बैठे और उनकी समेकित समीक्षा करे तो अपने ही निर्णयों की विरोधाभासी गणना को गिनकर हतप्रभ रह जायेगा।

राजनैतिक जिद और जड़ता की बात करें तो फिर से दो बातें सामने आती हैं। पहली लोकतंत्र में राजनीति कहाँ और कब प्रवेश कर गई? और दूसरी बात ये कि लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकारों का स्वरूप यूं सबके देखते-देखते लोककष्टकारी कैसे बन गया?आगे बढे तो लोक कल्याणकारी लोकतंत्र में लोक की जो महान भूमिका हुआ करती थी वो ई वी एम मशीन के बटन पर एक सैंकेड से कम समय तक ठहरने वाली अंगुली तक ही सीमित कैसे रह गई? इसके भी दो कारण हैं। पहला देश की आजादी के लिये लड़ने वाले लोग और उनके अवशेष तक समाप्त हो चुके हैं। दूसरा लोकतंत्र अब पार्टी तंत्र में बदल चुका है। हांलाकि ये दोनों एक दूसरे से एक सिक्के के दो पहलू की तरह जुड़े हैं। फिर भी दोनों का अपना अलग और खास महत्व है।

लोकतंत्र को स्थापित करने के लिये देश में फैली लगभग साढ़े छ: सौ रियासतों को तिरंगे के नीचे लाने वाले तपस्वी और मनस्वी लोगों के मन - प्राण में महात्मा गांधी ने जन की महत्ता को इतनी गहराई तक प्रतिष्ठा दी कि उनके बाद के अवशेष भी उसे बदल नहीं पाये। उसके बाद के समय में जब शासन सूत्र जन-सेवा से छूटकर सत्ता के मद से जुड़े तो ऐसे कथित राजनेताओं को जाति आधारित आरक्षण ऐसा दुधारी तलवार के रूप् में प्राप्त हुआ जो दोनों तरफ काटती थी और धारक को निरापद बनाती गई। यही कारण है कि जन से कटे और लोकतंत्र की गंभीरता को न समझने वाले कथित राजनेताओं की पौ बारह हो गई।

जातिवाद को समाप्त करने के चक्कर में नई-नई जातिया खड़ी होती गई और पिछड़ापन विकास की परिभाषा बन गया। मूल्यों और मानव चेतना पर एक के बाद एक कानून थोपे गये । क्या कोई बता सकता है कि आज देश में हर तरफएक असंतोष क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि संविधान लागू होने के सत्तर साल बाद भी देश जातिवाद के जहर को पीने के लिये अभिशप्त है। इसके भी दो कारण.....।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

समता आन्दोलन के स्थापना दिवस 11 मई
पर सभी समता कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को
हार्दिक बधाई

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

दलित के साथ संगीन अपराध पर अनुसूचित जाति-जनजाति की धाराएं स्वत: नहीं लगाई जाएं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट को लेकर एक बेहद ज़रूरी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, अब किसी दलित वर्ग या अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो बिना जांच और बिना किसी ठोस आधार के अनुसूचित जाति-जनजाति कानून नहीं लगाया जाएगा। अनुसूचित जाति-जनजाति कानून तभी लगाया जाएगा जब यह साबित हो जाए कि दलित वर्ग या अनुसूचित वर्ग होने की वजह से ही अपराध हुआ है।

दरअसल, बात यह है कि, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने फैसला लिया है कि, अगर कोई दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के ऊपर कोई अपराध होता है तो मामले की पूरी जांच करने के बाद ही अनुसूचित जाति-जनजाति् एक्ट की धारा 3 (2) (5) लगाया जाए। इससे पहले अगर कोई दलित वर्ग या अनुसचित जाति के ऊपर दुराचार होता था तो खुद ब खुद अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट लागू हो जाता था।

बता दें कि, यह मामला आंध्र प्रदेश का है जहां एक युवक ने 2011 में जन्म से अंधी लड़की के साथ दुष्कर्म किया

था। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (1) और अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट (अत्याचार निवारण)1989 की धारा 3 (2) (5) के तहत मुकदमा चला। मामले में राज्य पुलिस ने बलात्कार के साथ.साथ अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट की धारा 3 (2) (5) भी लगा दिया था। राज्य पुलिस ने इस मामले पर बिना जांच किए ही अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट लगा दिया था। उसके बाद आरोपी व्यक्ति को साल 2013 में ट्रायल कोर्ट ने धारा 376 (1) आईपीसी और अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट की धारा 3 (2) (5) के तहत दोषी करार दिया गया था। उसे धारा 376 (1)आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। अगस्त, 2019 में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी सजा पर पुष्टि करते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया था। जिसके चलते उससे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि, यह मामला बेहद गंभीर है परंतु जब तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जाता कि यह अपराध लड़की के दलित होने की वजह से हुआ है तब तक अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट की धारा 3 (2) (5) को नहीं लगा सकते है। कोर्ट ने आगे कहा किए यह साबित करना ज़रूरी होगा कि यह रेप इसलिए हुआ है क्योंकि लड़की अनुसचित जाति या दलित वर्ग से है। कोर्ट ने यह भी कहा किए अगर पीड़ित दलित या अनुसूचित जाति-जनजाति का है तो आरोपी के ऊपर सिर्फ इसी वजह से अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट की धारा नहीं लगाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद जरूरी फैसला है क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे लोग बेबुनियाद आरोपों के कारण अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के वजह से अभी भी सजा काट रहे है। अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट को दलितों और अनुसचित जाति के लोगों द्वारा अपर जाति के ऊपर अपने निजी बदले के वजह से भी इस्तेमाल किया गया है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस कानून का दुरूपयोग नहीं होगा।

'जातीय आरक्षण के दिन लद गए'

हमारा सर्वोच्च न्यायालय अब नेताओं से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। उसने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बताएं कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण अभी 50 प्रतिशत है, उसे बढ़ाया जाए या नहीं? कौन राज्य है, जो यह कहेगा कि उसे न बढ़ाया जाए? सभी नेता और पार्टियां वोट और नोट की गुलाम होती है। लगभग आधा दर्जन राज्यों ने 1992 में अदालत द्वारा बांधी गई आरक्षण की सीमा (50 प्रतिशत) का उल्लंघन कर दिया है।

महाराष्ट्र में तो सरकारी नौकरियों में 72 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद थी कि वह न केवल इस बेलगाम जातीय आरक्षण पर कठोर अंकुश लगाएगा बल्कि जातीय आरक्षण को असवैधानिक घोषित करेगा। जातीय आधार पर आरक्षण शुरू में सिर्फ10 साल के लिए दिया गया था लेकिन वह हर 10 साल के लिए दिया गया था लेकिन वह हर 10 साल के बाद द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ है? क्या इस आरक्षण के कारण देश के लगभग 100 करोड़ गरीब, पिछड़े, ग्रामीण, दलित-वंचित लोगों को न्याय और समान अवसर मिल रहे हैं? कतई नहीं ।

इन 100 करोड़ लोगों में से सिर्फ कुछ हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरियों पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी कब्जा जमा रखा है। उसका आधार उनकी योग्यता नहीं, उनकी जाति है। ये कुछ हजार दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग नौकरियों के योग्य हों ने हों लेकिन अपनी जाति के कारण वे नौकरियां हथिया लेते है। इसके कारण देश के प्रशासन में प्रमाद और भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही है, जातिवाद जैसी कुत्सित प्रथा भी प्रबल होती रहती है। इस प्रवृति ने एक नए शोषक-वर्ग को जन्म दे दिया है। इसका नाम है 'क्रीमी लेयर' यानी मलाईदार वर्ग। इस वर्ग में अयोग्यता के साथ-साथ अंहकार भी पनपता है। इन लोगों ने अपना नया सवर्ण वर्ग बना लिया है।

यह सवर्णों से भी आगे 'अति सवर्ण वर्ग' है। देश के 100 करोड़ वंचितों को ऊपर उठाने की चिता इन लोगों को उतनी ही है, जितनी परंपरागत सवर्ण वर्ग को है। यदि हम भारत को सबल और सम्पत्र बनाना चाहते हैं तो इन 100 करोड़ लोगों को आगे बढ़ाने की चिता हमें सबसे पहले करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आरक्षण जाति के नहीं, जरूरत के आधार पर दिया जाए और नौकरियों में नहीं, शिक्षा और चिकित्सा में दिया जाए।

जो भी दलित, वंचित, अक्षम, गरीब हो, उसके बच्चों को मुक्त शिक्षा और मुक्त भोजन दिया जाए और उसकी मुक्त चिकित्सा हो। उसकी जाति न पूछीं जाए। ऐसे जरूरतमंदों को वे किसी भी जाति के हों, यदि शिक्षा और चिकित्सा में 80 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बच्चे अपनी योग्यता और परिश्रम से भारत को महाशक्ति बना देंगे।

पौराणिक कथन : 'केदारनाथ'

बद्रीकाश्रम से 101 मील दक्षिण में 11750 फुट ऊंचाई पर शिवतीर्थ। बैशाख से कार्तिक तक यहाँ की यात्रा होती है

कितने सारे ढोल बजाकर,
वे आरक्षण सही बताते।
संविधान को कर शर्मिन्दा-
लंपटता फिर-फिर दिखलाते।।

कविता

"पाप न लगता मारे खल"

चल चल भाई चलता चल,
अपने हित भी फलता चल।
ढोर नहीं तू मानव है-
जैसा चाहे सकता ढल''
तोड़ बेड़ियाँ भावों की,
गिनती कर निज चावों की।
थाम के अपनी साँस को -
गिनती कर ले घावों की।
असमंजस को छोड़ो भी-
लपक छीन ले अपना फल.....।।
विधी की धार सूख रही,
रोती कोयल कूक रही,
संसद की दीवारें अब-
लगता जैसे हूक रही।
भाग्य विधाता बन अपना-
लौटा दे अब सारे छल.....।।
धीमे चलना सही मगर,
जो मन कहता वही डगर ।
पांवों को मत रूकने दे-
वन प्रॉतर हो या कि नगर।
सहने की सीमा पूरी -
पाप न लगता मारे खल.....।।
चल चल भाई चलता चल,
अपने हित भी फलता चल।

-समता डेस्क

समता आन्दोलन का भील आदिवासियों के आरक्षण का खुला समर्थन

कोटा, 27 मार्च। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भील आदिवासियों द्वारा 12 प्रतिशत आरक्षण का वर्गीकरण कर आदिवासियों के आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग को लेकर चल रहे धरने को खुला समर्थन दिया है। इस संबंध में समता आन्दोलन समिति द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। और धरनास्थल पर मांगों का समर्थन किया। समता आन्दोलन के संभागीय अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, संभागीय महासचिव कमल सिंह बढगुजर, जिलाध्यक्ष योगेन्द्र गुप्ता, जिला महासचिव रासविहारी पारीक, नगर अध्यक्ष गोपाल गर्ग ने जिला कलेक्ट्री पर भीलों के आन्दोलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में स्थिति यह है कि अजजा आरक्षण का 98 प्रतिशत लाभ मीणा जाति को मिल रहा है और सहरिया, गरेसिया, भील जनजाति को मात्र 2 प्रतिशत ही लाभ मिल पा रहा है। मीणा जाति सदैव से ही संपन्न जमींदार, पटेल रही है। इसलिए पढ़-लिखकर 12 प्रतिशत आरक्षण की मलाई चाट रहे हैं और मूल आदिवासी आज भी आदिवासी ही हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासियों के आरक्षण हेतु 5 बिन्दुओं को ध्यान में रखकर आरक्षण के दिशा-निर्देश दिये थे, जिसमें मीणा जाति एक भी बिन्दु पर खरी नहीं उतरती है, फिर भी आरक्षण जारी है।

हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है

गतांग से आगे:-

मंडल आयोग के मामले में दोनों सरकारी ज्ञापनों में केंद्रीय सेवाओं में सीधी भरती के मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पदोन्नति में आरक्षण का प्रश्न कोई विवादित मामला नहीं था, जैसा इसी मामले में स्वीकार किया गया था; लेकिन विद्वान् न्यायाधीशों ने एक गैर-विवादित मसले को सुलझा दिया; यद्यपि इस पर आपत्ति जताई गई कि पक्षों के अधिवक्ता एक साथ मिल गए थे और उन्होंने यह मसला खड़ा कर दिया तथा उसे बड़ी खंडपीठ के पास भेजा गया, ताकि उसी आधार पर निर्णय लिया जा सके; जबकि यह स्वीकार्य संवैधानिक नियम है कि किसी संवैधानिक मामले पर तब निर्णय नहीं दिया जा सकता जब तक वह मामला निर्णय के लिए उठाया नहीं जाता; खंडपीठ ने एक गैर-विवादित मसले पर संवैधानिक कानून के आधार पर निर्णय दे दिया, जो देश की मुल जनसंख्या के 22 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करनेवाला था। यह एक स्वीकृत बात है। चूँकि यह कोइ मसला नहीं था और न ही ऐसा कोई साक्ष्य था, जो यह सिद्ध करता कि पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के कारण प्रशासन की गुणवता में ह्रास आया था; किसी मामले में एकसा काई तथ्य भी मौजूद नहीं था।

वास्तविकता यह है कि इंद्रा साहनी मामले में तत्कालीन एटॉनी जनरल ने सरकार की ओर से यह बात स्वयं रखी थी- चूँकि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान की बात नहीं की गई है, अत: मामले में इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस पर नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने विचार किया। नौ में से आठ न्यायाधीशों ने एकमत से फैसला दिया। यह यच है कि आदेश में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के प्रावधान की बात नहीं की गई है-माननीय न्यायाधीशों ने कहा था- ''लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि 'आरक्षण से संबंधित वैधानिक स्थिति को अंतिम रूप् से सुलझाने' के उद्देश्य से ही मामला बड़ी खंडपीठ को सौंपा गया था। इसीलिए हमें इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ा।'' और फिर, ''पदोन्नति के समय आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न इस विवादित आदेश से सीधे नहीं उठता। यह अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।'' और नौवें न्यायाधीश ने कहा कि उसके आठ साथी न्यायाधीशों ने जो कुछ किया, उसका संबंध एक गैर-विवादित मसले से है, अत: उसे माना नहीं जाना चाहिए।

खैर, आगे बढ़ते हैं।''हमें केवल संविधान में प्रयुक्त शब्दों पर नहीं जाना चाहिए ।'' प्रगतिवादी न्यायाधीशों की नसीहत होती है। न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्णा अय्यर की राय है, ''भारतीय संविधान एक वृहद् सामाजिक दस्तावेज है, जिसका एक क्रांतिकारी उद्देश्य है- एक मध्यकालीन, वंशानुगत समाज को एक आधुनिक, समतावादी लोकतंत्र में रूपांतरित करना। इसके प्रावधानों को व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण द्वारा ही समझा जा सकता है, पांडित्यपूर्ण और परंपरागत विधिवाद से नहीं.....।''

> ''किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का वाहन होता है और वह सरकार की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अत: संवैधानिक प्रावधान का आशय स्पष्ट करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण भी व्यावहारिक होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अमूर्त सिद्धांतों के चक्कर में उलझकर रह जाए।''

जी हाँ, अतिशयोक्ति की हद तक शब्दाडंबर का सहारा लेना तो प्रगतिवादियों की जैसे प्रवृत्ति ही बन गई है। संविधान के प्रगतिवादी अर्थ-निरूपण और उसके अंतर्गत न्यायपालिका की भूमिका-दोनों में ही यह प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। न्यायमूर्ति पांड्यान कहते हैं, ''हमारा संविधान अपने स्वरूप् और भाग 4 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के कारण अद्वितीय है। मौलिक अधिकारों की संकल्पना संविधान के संकीर्ण और सीमित अर्थ-निरूपण के आधार नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर यथार्थ रूप में की गई है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र, न्याय एवं अवसर के समान वितरण पर आधारित है। यद्यपि ब्रिटिश शासन समाप्त हुए पैंतालीस वर्ष और नया भारतीय संविधान लागू हुए बयालीस वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनमानस में अब भी यही सवाल उमड़ रहा है कि क्या अवसर एवं स्तर की समानता का सिद्धांत देश के सभी नागरिकों के साथ समान रूप् से लागू किया जाना चाहिए और क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित 'सार्वजनिक सेवायोजन के मामले में अवसर की समानता' का सिद्धांत यथार्थ रूप् में लागू हुआ हैं? इसका उत्तर बड़े दु:ख के साथ 'न' में देना पड़ता है....।'' ''हमारे संविधान-निर्माताओं ने अनुच्छेद 14,15 और 16 को एक व्यापक उद्देश्य और शब्दावली से युक्त करके संविधान में जोड़ा है, ताकि निर्धनता, अशिक्षा एवं गुमनामी में रहने वाला समाज की पीड़ित व त्रस्त वर्ग, जो सामाजिक बहिष्कार और अन्य सामाजिक अत्याचारों का शिकार बना हुआ है, समानता की स्थिति से वंचित न रह जाए,....।'' उनके मर्यादाहीन सामाजिक स्तर और निकृष्ट जीवन-दशाओं को देखकर यही आभास होता है कि समानता की स्थिति प्राप्त करने की उनकी आशा मृग-मरीचिका से ज्यादा कुछ नहीं है पिछड़े वर्गों की यह विकट और दयनीय स्थिति....।''

जी हाँ, इन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों से माननीय न्यायाधीश के हृदय और सोच की विशालता-व्यापकता साफ झलक रही है। अन्य न्यायाधीशों ने सचेत भी किया कि यदि न्यायिक व्यवस्था, विचारधारा इसी तरह बेलगाम चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा, जब कोई भी खंडपीठ अपनी इच्छा और सुविधानुसार टिप्पणी करने लगेगी। इससे संविधान का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा और इस प्रकार न्यायिक प्रशासन-अनुशासन को चोट पहुँचेगी। एन.एम. थॉमस मामले को ही लें, जिसमें न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने इस खतरे की ओर संकेत किया था। न्यायाधीशों द्वारा जिस प्रकार एक अमेरिकी न्यायाधीश द्वारा एक बिलकुल ही अलग संदर्भ वाले मामले में दिए गए निर्णय या अन्य विदेशी संदर्भ वाले शब्दों का प्रयोग करके पूरी व्यवस्था को ही एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, उसे देखकर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा भी था कि ''न्यायधीशों को आँखें बंद करके इधर-उधर के चिंतकों के उद्धरण पर नहीं चलना चाहिए, चाहे वे कितने ही प्रसिद्ध क्यों न हों।...कोई ख्याति-प्राप्त चिंतक यदि किसी मत के समर्थन में कुछ बोलता-लिखता है तो दूसरा उतना ही ख्याति-प्राप्त चिंतक उस मत विपरीत भी लिख-बोल सकता है। इस प्रकार, मत के पक्ष और विपक्ष-दोनों में पर्याप्त तर्क मिल सकते हैं।'' अत्यंत सरल ढंग से उन्होंने यह अनुरोध किया था कि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के दृष्टिकोण से बचे। ''किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का वाहन होता है और वह सरकार की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अत: संवैधानिक प्रावधान का आशय स्पष्ट करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण भी व्यावहारिक होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अमूर्त सिद्धांतों के चक्कर में उलझकर रह जाए।'' इस संदर्भ में उनकी एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है-संवैधानिक प्रावधान का आशय निकालते समय यह देखना जरूरी है कि उससे मौजूदा मामले पर और साथ-ही-साथ भविष्य में उठनेवाले उस प्रकार के मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी एक मामले के संदर्भ में हमें ऐसा कोई अर्थ अथवा आशय नहीं अपनाना चाहिए, जिससे अवसर की समानता जैसे बड़े आदर्श तक पहुँचने के लिए हर प्रकार के रास्ते तैयार करने का अवसर सुलभ हो जाए। इसी तरह ठोस तर्क के अभाव में हमें ऐसे मार्ग पर चलने से बचना चाहिए, वर्षों पहले सुलझाई जा चुकी कोई संवैधानिक स्थिति फिर से विवादों के घेरे में आकर उलझ जाए ।''

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वान

आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये।

मान्यवर,

हजारों वर्षों से परखी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं योग पर आधारित कोविड-19 (कोरोना) महामारी से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन प्रोटोकॉल दिनांक 06.10.2020 को जारी किया गया है। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद और योग के छः प्रतिष्ठित संस्थानों (AIIA, IPGTRA, NIA, CCRAS, CCRYN और अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कोविड-19 से बचाव के उपाय :

A. सामान्य और शारीरिक उपाय : (i) शारीरिक दूरी, श्वसन और हाथ की स्वच्छता रखें, मास्क पहनें (ii) एक-एक चुटकी हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारे करें (iii) घर से बाहर जाने और वापस आने पर अणु तैल/षड्बिन्दु तैल/तिल तैल/नारियल तैल या गाय का घी नाक में डालें (iv) अजवाईन या पुदीना या नीलगिरि तैल के साथ दिन में एक बार भाप लेना (v) नींद 7-8 घंटे (vi) मध्यम शारीरिक व्यायाम तथा (vii) योग (प्राणायाम आदि) प्रोटोकॉल (संलग्नक-एक व दो) का पालन करें।

B. आहार सम्बन्धी उपाय: (i) अदरक या धनिया या तुलसी या जीरा डालकर उबला हुआ पानी पीएँ (ii) ताजा, गर्म, संतुलित आहार लें (iii) रात्रि में गोल्डन मिल्क (150 मिली गर्म दूध में तीन ग्राम हल्दी चूर्ण) लेवें (iv) आयुष काढ़ा दिन में एक बार लेवें।

C. उच्च जोखिम आबादी या सम्पर्कों में कोविड-19 से बचने के लिए: (i) अश्वगंधा का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से लें (ii) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मि.ग्रा.एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (iii) च्यवनप्राश 10 ग्राम गर्म पानी/दूध के साथ प्रति दिन लेवें।

2. लक्षण रहित कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :

(I) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक गर्म पानी से दिन में दो बार (iii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

3. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार : (बुखार, थकान, सूखी खाँसी, गले में खरास, नाक बंद लेकिन श्वास फूलने से पहले)

(I) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

4. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का विशेष उपचार :

(I) शारीरिक दर्द/ सिरदर्द के साथ बुखार के लिए नागरादि कषाय (ii) खाँसी के लिए शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण गले में खरास/स्वाद में कमी के लिए व्योषादि वटी (iii) थकान के लिए च्यवनप्राश (iv) हाइपोक्सिया के लिए वासावलेह (v) दस्त के लिए कुटज घनवटी और श्वास फूलने पर कनकासव भी संलग्नक-3 के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं।

5. कोविड-19 पश्चात् उपचार : (i) अश्वगंधा का एक्स्ट्रेक्ट 500 मिलिग्राम या चूर्ण 1-3 ग्राम एक माह तक गर्म पानी से दिन में दो बार (ii) च्यवनप्राश 10 ग्राम प्रतिदिन गर्म पानी/दूध के साथ एक बार (iii) रसायन चूर्ण एक माह तक प्रतिदिन शहद के साथ दो बार।

6. कोविड-19 की रोकथाम के लिए तथा कोविड-19 के बाद परिचर्या के लिए योग (प्राणायाम आदि):

संलग्नक-1 एवं 2 में योग प्रोटोकॉल 45 मिनिट एवं 30 मिनिट की अलग-अलग सारणी में बताये गये हैं, इनकी नियमित पालना भी आवश्यक है।

नोट:- उपर्युक्त प्रोटोकॉल (तीनों संलग्नकों सहित) की विस्तृत जानकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाईट पर एवं समता आंदोलन की वेबसाइट www.samtaandolan.co.in के होम पेज पर उपलब्ध है जिसका गम्भीरता से अवलोकन और पालन करेंगे तो शीघ्र ही भारत देश कोविड-19 से मुक्त हो जायेगा। कृपया आयुर्वेद एवं मानवता की सेवा के लिए इस पैम्फलेट को लगातार प्रचारित करते रहें। सादर।

निवेदक : समता आन्दोलन समिति (रजि.)

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in